उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928	GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स (जी.एस.टी. सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या– 320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com
Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

दिशा–निर्देश सं0: /का0 टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2021/54/TC/285A दिनांक: 26/06/2021

ई–मेल द्वारा

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

अति महत्वपूर्ण

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2021–22 तदनुरूप कर निर्धारण वर्ष 2022–23 के बजट द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 मे किये गये संशोधनों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक कारपोरेट टैक्स अनुभाग के पत्रांक 285/का0 टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2021/54TC 2018 दिनांक 19.06.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या IV पर वर्णित आयकर अधिनियम, 1961 में समाहित की गयी नवीन धारा 206AB एवं 206CCA के अन्तर्गत "Specified Person" पर सामान्य से अधिक दर से TDS काटने/TCS संग्रहित करने का प्रावधान है। "Specified Person" का अर्थ है ऐसे व्यक्ति/संस्थानः

(i) जिसने, जिस वर्ष में TDS/TCS काटा/संग्रहित किया जाना है, के पिछले दो वित्तीय वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल न किया हो, तथा
(ii) जिनकी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अन्तर्गत पिछले दो वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अन्तिम तिथि निकल चुकी हो, एवं
(iii) जहाँ बिन्दु संख्या (i) पर इंगित पिछले दोनों वर्षों में उस व्यक्ति/संस्थान पर कटने वाले TDS एवं संग्रहित होने वाले TCS की कुल धनराशि रू0 50,000/– या उससे अधिक हो।

उक्त धाराओं के अन्तर्गत, कोई TDS Deductee/TCS Collectee, "Specified Person" की श्रेणी में है अथवा नहीं, यह जाँच करने का दायित्व, TDS काटने/TCS संग्रहित करने वाले का होता है।

इस क्रम में सूच्य है कि Central Board of Direct Taxes (CBDT) द्वारा Circular No. 11 of 2021 दिनांक 21 जून, 2021 के माध्यम से "Compliance Check for Section 206AB & 206CCA" नामक नयी functionality उपलब्ध करायी गयी है, जिसके माध्यम से TDS Deductor/TCS Collector यह जाँच कर सकता है कि सम्बन्धित TDS Deductee/TCS Collectee चालू वित्तीय वर्ष में धारा 206AB/206CCA हेतु "Specified Person" की श्रेणी में आता है अथवा नहीं। इसी क्रम में Central Board of Direct Taxes (CBDT) द्वारा Notification No. 01 of 2021 दिनांक 22 जून, 2021, जारी की गयी है जिसके माध्यम से उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत व्यक्ति/संस्था के "Specified Person" होने/ना होने की स्थिति को जाँचने का तरीका विस्तृत रूप से समझाया गया है।

साथ ही, Central Board of Direct Taxes (CBDT) द्वारा "Compliance Check for Section 206AB & 206CCA" नामक Power Point Presentation (PPT) एवं Quick reference guide (Version 1.0 June 2021) भी जारी की गयी है, जिसमें Principal Officer, जो कि सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी होगा, के द्वारा Income Tax Department के Reporting Portal (https://report.insight.gov.in) पर registration के उपरान्त "Specified Person" की search करने का तरीका विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

समस्त आहरण–वितरण अधिकारी उक्त Circular no. 11 of 2021, Notification no. 01 of 2021, आयकर विभाग की उक्त PPT एवं Quick reference guide (Version 1.0 June 2021) में वर्णित प्रकिया का अनुसरण करते हुए आयकर विभाग के Reporting Portal पर अपने TAN के माध्यम से स्वयं को Principal Officer के रूप में register कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, दिनांक 01 जुलाई, 2021 से उक्त वर्णित Income Tax Functionality का प्रयोग करते हुए धारा 206AB एवं धारा 206CCA के अन्तर्गत "Specified Person" पर उक्त धाराओं के अन्तर्गत वर्णित दरों पर TDS काटना/ TCS संग्रहित करना सुनिश्चित करें।

अग्रेतर, उक्त वर्णित functionality के कार्यात्मक होने के उपरान्त, इस कार्यालय के पत्रांक 285/का0 टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2021/54TC 2018 दिनांक 19.06.2021 के Annexure IV पर व्यवस्थित Declaration की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए।

समस्त आहरण–वितरण अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक–

(i) Circular No. 11 of 2021 dated 21 June, 2021.
(ii) Central Board of Direct Taxes (CBDT) notification no. 01 of 2021 dated 22th June, 2021.
(iii) Income Tax Department PPT titled "Compliance Check for Section 206AB & 206CCA".
(iv) Income Tax Department Quick reference guide (Version 1.0 June 2021) "Compliance Check for Section 206AB & 206CCA".

/

(सुधीर आर्या)
निदेशक (वित्त)

दिशा–निर्देश सं0: २९१ /का0 टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2021/ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को लखनऊ/ वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
3. समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
4. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को लखनऊ/ वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर को **इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपनी कम्पनी के स्तर पर अलग से दिशा–निर्देश निर्गत करें।**
5. अधिशासी निदेशक/मुख्य महाप्रबन्धक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. सचिव ट्रस्ट, उ0 प्र0 पावर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (लेखा), केस्को, कानपुर।
8. महाप्रबन्धक, औद्योगिक सम्बन्ध, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
9. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को **इस आशय के साथ कि अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करना सुनिश्चित करें।**
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

12. उपसचिव (स० प्र० लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. उप मुख्य लेखाधिकारी (निधि/सम्प्रेक्षा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी०एम०यू०/वेतन एवं लेखा, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. लेखाधिकारी (जी०पी०एफ०-ट्रस्ट)/(सी०पी०एफ०-ट्रस्ट), उ० प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, रूम नं० 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए० के० अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक
(लेखा एवं सम्प्रेक्षा)